Commonwealth Human Rights Initiative

Jail Mail
Prison Reform Updates

7 नवंबर 2015

प्रिय मित्रों,

9 नवंबर 2015 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रवर्तन को 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर देश में विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1995 को इसी दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लागू हुआ था। यह कानून मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और सहयोग प्रदान करता है उन विभिन्न कमजोर वर्गों को जैसे - महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक मज़दूर तथा जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिनकी न्यायलय तथा निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई की पहुँच सिमित है।

हिरासत में बंद व्यक्तियों का महत्वपूर्ण अनुपात पूरी तरह कोर्ट, जेल अधिकारियों, कानूनी सहायता प्रणाली या जेल में उससे मिलने आने वाले वकीलों पर निर्भर करता है केवल अपनी कानूनी आवश्यकताओं की पहचान सुनवाई पूर्व हिरासत के प्रारंभिक चरण के लिए ही नहीं बल्कि प्रभावशाली कानूनी प्रतिनिधित्व और सलाह प्राप्त करने के लिए जिससे उनकी अनावश्यक हिरासत से कानूनी बचाव के साथ उसकी स्वतंत्रता की भी रक्षा हो सके।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का उद्‌देश्य है कि हिरासत में कोई व्यक्ति बिना कानूनी सहायता के न हो। इस वर्ष जब अधिनियम प्रवर्तन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो सी.एच.आर.आई जेल के अंदर विधिक सेवा की पहुँच की वास्तविक तस्वीर का आंकलन करते हुए विधिक सेवा दिवस मनाने जा रहा है।

क्या जेलों में ऐसे लोग है जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है?

भारत की जेलों में कैद कैदियों की कुल आबादी का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है। जेल सांख्यिकी (एनसीआरबी) के अनुसार भारत की जेल की आबादी का बहुमत अनपढ़ और 64 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है। जेल में ऐसे मामलों की संख्या, विशेष रूप से ऐसे मामले जो वहां एक साल से अधिक समय से लंबित हैं, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है।

जेल में ऐसे कैदियों की संख्या जो तीन महीने से कम समय से कैद है में 2001 के 40 प्रतिशत से कम हो कर 2014 में 34 प्रतिशत रह गई है। इसका मतलब यह है कि विचाराधीन कैदी अब लंबे समय के लिए जेलों में बंद है। 2014 में कुल विचाराधीन कैदियों में से अब ऐसे कैदियों की संख्या जो जेल में एक वर्ष से अधिक समय से है 25 प्रतिशत है जबकि 2001 में यह प्रतिशत 19 था। इसी के साथ ऐसे कैदी जो 1–3, 3–6 और 6–12 महिनों से कैद है अब भी बहुत अधिक है और ये प्रभावशाली और त्वरित कानूनी सहायता के अधिकारी हैं ताकि लंबी और अनावश्यक हिरासत से बच सकें।

विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरह से हिरासत में व्यक्तियों के लिए हितकारी है?

भारत में कानूनी सहायता व्यवस्था के शीर्ष में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। दूसरे पायदान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है जिसके नीचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका / उप मण्डलीय विधिक सेवा समितियां होती

हैं। इस कानूनी सहायता मशीनरी का काम विभिन्न कानूनी सेवा योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी करना है।

भारत में उन कैदियों की संख्या मात्र 3 प्रतिशत है जो कानूनी सहायता योजनाओं का लाभ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1987 से जब से यह अधिनियम लागू हुआ है तब से अब तक विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के 1.77 करोड़ लाभार्थियों की कुल सूची में से केवल 4.68 लाख कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। देश में जेलों में कैदियों की संख्या के मद्दे नजर यह आंकड़ा बहुत कम है। इसके अलावा, इन 4.68 लाख कैदियों में दिल्ली में कैदियों का प्रतिशत एक चौथाई है।

हालांकि दिल्ली और मध्य प्रदेश कैदी कानूनी सहायता प्राप्त करने वालों में सबसे उपर है लेकिन बिहार और कर्नाटक में जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक है वहां बहुत कम लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाया है।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	कानून के पास होने से 30 नवंबर 2014 तक हिरासत में कानूनी सहायता और सलाह का लाभ लेने वाले कैदियों की संख्या (सर्वोच्च अदालत की वार्षि रिपोर्ट 2014&15)	2014 में कानूनी सहायता प्राप्त करन वाले कैदियों की संख्या (एनसीआरबी)
1	दिल्ली	110075	41637
2	मध्य प्रदेश	55940	3516
3	पंजाब	38479	1987
4	हरियाणा	36544	3640
5	तमिलनाडु	32320	4951
6	छत्तीसगढ़	31566	2597
7	महाराष्ट्र	26382	1817
8	राजस्थान	21607	1647
9	केरल	19590	1019
10	उत्तर प्रदेश	16596	2955
11	पश्चिम बंगाल	14480	3036
12	गुजरात	12181	1591
13	आंध्र प्रदेश	10193	1846
14	चंडीगढ़	5738	523
15	ओडिशा	4324	412
16	मिजोरम	4176	204
17	झारखंड	3871	1142
18	गोवा	3493	126
19	सिक्किम	3189	490
20	नगालैंड	2047	58
21	बिहार	1649	614
22	त्रिपुरा	1481	19
23	उत्तराखंड	1474	767
24	अंडमान एवं	1183	25
25	मेघालय	922	226
26	पुडुचेरी	861	8
27	असम	544	821
28	जम्मू–कश्मीर	365	70
29	तेलंगाना	354	799
30	कर्नाटक	239	189
31	हिमाचल प्रदेश	220	384
32	अरुणाचल प्रदेश	54	5
33	दमन और दीव	40	0
34	डी एंड एन हवेली	19	0
35	मणिपुर	6	0
36	लक्षद्वीप	1	0
	सर्वोच्च न्यायालय	6430	-
कुल (भारत)		**468633**	**79121**

जेलों में कानूनी सहायता की जरूरत पर सी.एच.आर.आई के क्या विचार हैं?

पांच जेलों के अंदर कानूनी सहायता क्लीनिक चला कर सी.एच.आर.आई त्वरित और प्रभावशाली कानूनी सहायता तक कैदियों की पहुंच के लिए काम कर रही है। सी.एच.आर.आई ने जेलों और सुधार गृहों में सैकड़ों कैदियों के साक्षात्कार किए हैं। इसके अलावा सी.एच.आर.आई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी योजनाओं को समय पर लागू करवाने, कानूनी सहायता वकीलों द्वारा गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व, और कानूनी सहायता प्रणाली की समग्र निगरानी में सहायता करती है।

कैदियों की कानूनी सहायता तक पहुंच में वृद्धि के लिए सी.एच.आर.आई के छः वर्षो का अनुभव बताता है कि अक्सर कैदियों को पता ही नहीं होता कि उनका वकील भी है, कई लोगों के पास गिरफ्तारी और कोर्ट में पहली प्रस्तुति के समय वकील नहीं होता। यहां तक कि चार्जशीट दर्ज होने तक भी। अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार के बारे में महिला कैदी विशेष रूप से अनजान रहती हैं और बहुत सी महिलाएं जमानत आवेदन न किए जाने के चलते जेल में ही रह जाती हैं। अधिकांश वकील अपने मुवक्किल से जेल में मिलते ही नहीं। इस तरह कैदी अपने परिवार के अल्प आय स्रोतों पर बोझ बन जाते हैं और अक्सर गैर–जिम्मेदार और अप्रभावी निजी वकीलों के चुंगल में फंस जाते हैं। कई अपनी सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और कानूनी जागरुकता की कमी की वजह से वकील के लाभ के अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

ऐसी स्थिति में, विचाराधीन कैदी को जेल में प्राप्त रक्षा की पहली पंक्ति में होना विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए बहुत जरूरी है।

हिरासत में व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच को संभव बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कर सकते हैं?

विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसा करना चाहिए:

- कानूनी सहायता प्राधिकरण और कैदी के बीच प्रभावी समन्वय के लिए तंत्र को विकसित करना ताकि व्यक्ति की आवश्यकता की जानकारी में होने वाले विलंब को खत्म किया जा सके

- यह सुनिश्चित करना कि कानूनी सहायता क्लीनिक सभी जिला, केन्द्र और उप जेलों में चलता रहे

- हिरासत में जरूरतमंद व्यक्तियों की कानूनी आवश्यकताओं के शीघ्र पहचान के लिए समय पर क्षमतावान और प्रतिबद्ध वकीलों और कानूनी सहायकों की नियुक्ति

- कोई भी व्यक्ति अनावश्यक अदालत या स्वतंत्रता से वंचित न हो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके प्रतिनिधित्व अनुरोध को पूरा करना

- जेल में कैदियों से जाकर मिलने वाले वकीलों के जेल भ्रमण, कानूनी सहायकों के कार्य, कार्य रजिस्टरों और प्रभावी रिपोर्टिंग की नियमित निगरानी

- इन क्लीनिकों की देखरेख करने वाले कानूनी सहायकों का विशेष प्रशिक्षण

- इन वकीलों और कानूनी सहायकों को उचित और नियमित भत्ता देना

- जमानती और रिमाण्ड वकीलों की भर्ति करना और जमानत आवेदनों को समय से जमा करना और रिमाण्ड का विरोध करने का प्रशिक्षण देना

- सुप्रीम कोर्ट के *'री–इनह्यूमन कंडीशन्स इन 1382 प्रिज़न्स'* के आदेशों को लागू करवाना। ये आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी किए गए थे:

    - लंबी और अनावश्यक हिरासत रोकने के लिए हर जिले में विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समितियों का गठन और उनका स्वस्थ कामकाज

- ऐसे मामलों में जहां गरीबी के चलते या जमनात नहीं चुकाने से या जमानतदार उपलब्ध नहीं होने से हिरासत में रहना पड़ रहा है उनकी पहचान करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के पैनल का गठन करना तथा नियुक्त करना

- समाधेय अपराधों के शीघ्र निपटान

इन सच्चाईयों के बीच कानूनी सेवा निकायों को ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सके कि जेल के दरवाजों के बंद होने का मतलब कानूनी सहायता और निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का खत्म हो जाना नहीं है।

आप क्या कर सकते है?

यदि आप वकील हैं तो आपको विधिक सेवा प्राधिकरण में अपना नामांकन कराना चाहिए और निकट के पुलिस थाने और जेलों में नियमित तौर से जाना चाहिए जिससे की जरूरतमंद अभियुक्त एवं कैदियों की कानूनी सहायता की जरूरतों की पहचान, सहायता और सहयोग करना चाहिए।

जो वकील नहीं हैं उनके लिए सूचना का अधिकार कानून शक्तिशाली औजार है। हम इस कानून का प्रयोग इस बात का पता लगाने के लिए करते है कि क्या कानूनी सहायता योजनाएं कैदियों के हित में काम कर रही हैं। यदि आप अपने जिले या राज्य में ऐसा कुछ करना चाहते है तो हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

आप नालसा जो कि देश में कानूनी सहायता की अग्रणी संस्था है के बारे और अधिक जान सकते हैं।

धन्यवाद

सना दास

संयोजक, कारावास सुधार कार्यक्रम जेल खबरें

Behind Bars, Not Beyond Justice

जेल खबरें

Australian prisons need to improve to measure up to the UN's Mandela Rules

Ruth Barson, *The Age*

Australia is locking up more people than ever before, but many of Australia's prison practices breach the UN's new standards.

यूपी की जेलों में बंद 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदी रिहा किए जाएंगेः रामूवालिया

Live Hindustan

यूपी की जेलों में बंद 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को प्रदेश सरकार रिहा करेगी।

जेल वार्डर की संदिग्ध मौत

Navabharat Times

सुनारिया जेल में जेल वार्डर के पद पर तैनात एक सिपाही की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गयी।

Tihar makes it e-asy for families

Shiv Sunny, *The Hindu*

Prisoners at Tihar Jail may soon be able to meet their relatives, friends and advocates through video conferencing. However, to prevent misuse of the system, the jail authorities will record their conversation and analyse them if they feel it is necessary.

Telangana jail moves prisoners towards a new life

Ch Sushil Rao, *The Times of India*

In a new decision that could see a fall in he crime graph, the Telangana prisons department is planning to approach corpo rate firms in the city to hire released convicts who have shown good behaviour.

तिहाड़ जेल : नर्सों ने की ट्रान्सफर कैंसल करने की मांग

Navabharat Times

देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के अस्पताल में तैनात नर्सों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पत्र लिख कर मांग की कि उनके ट्रान्सफर के आर्डर कैंसल होने चाहिए।

Gang war in Mangaluru jail: Two inmates killed

Business Standard (IANS)

Two prisoners were killed and six other inmates injured in a gang war that broke out in the district jail here in Karnataka on Monday, police said.

---

3 more jail guards suspended for beating up 50 prisoners

Goa News

Three more jail guards from Colvale central jail were suspended today, for violating human rights by mercilessly beating up 50 prisoners almost a month ago.

Prison economics and the gap between different states

Ragini Bhuyan, *Live Mint*

Data from the Prison Statistics India shows that the state spends Rs 51 per inmate daily on food, clothing and medicine.

Playing cops and robbers?

Vijay Chavan, *Pune Mirror*

The ritual of protecting the identity of an accused before trial to ensure a fair process, was casually thwarted on Saturday when a head constable was caught riding pillion on his own two-wheeler with an undertrial.

Labour pulls out big guns in fight to restore legal aid

Solicitors Journal

The leader of the opposition and shadow chancellor both made appearances at Labour's legal aid summit last night to reinvigorate the legal profession in their fight against restrictions on access to justice.

‘जेल मेल’ के बारे में

सी.एच.आर.आई. की ‘जेल मेल’ जेल सुधार से सम्बंधित मुद्दों की एक श्रंखला है। यह उन पाठकों के लिए समय समय पर लायी जायेगी जो कैदियों के अधिकारों और जेल सुधार विषय में दिलचस्पी रखते हैं। जेल, जो की पारंपरिक रूप से एक अपारदर्शी संस्था है, जिसे पारदर्शी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सिविल सोसाइटी इसके प्रबंधन और निगरानी में शामिल हो जिससे कैदियों के अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित किया जा सके। ‘जेल मेल’ सिविल सोसाइटी और जेलों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को संवाद के लिए आमंत्रित करता है।

‘जेल मेल’ में सी.एच.आर.आई. के जेल सुधार कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित शोध एवं अन्य रिपोर्ट, संबंधित पक्षों के साक्षत्कार, कैदियों के कल्याण से संबंधित मामलो एवं भारत और विश्व में जेलों की स्थिति पर लेखों का प्रकाशन किया जाएगा। मामलों की गंभीरता और पाठकों की दिलचस्पी के हिसाब से ‘जेल मेल’ के प्रकाशन की आवृति होगी।

सी.एच.आर.आई. और जेल सुधार कार्यक्रम के बारे में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना है। सी.एच.आर.आई. का गठन 1987 में राष्ट्रमंडल संस्थाओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1993 से इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है तथा इसके कार्यालय अकरा, घाना और लंदन में हैं।

सी.एच.आर.आई. जेल सुधार पर पंद्रह वर्ष से काम कर रहा है। जेल सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन समीक्षा समितियां और जेल पर्यवेक्षक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही, खासतौर से राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इनका उद्देश्य है कि सुनवाई पूर्व निरोध अनावश्यक न हो। यह कार्यक्रम विदेशी कैदियों के समयपूर्वक पर्यावर्तन की हिमायत एवं शरणार्थियों के कारावास का विरोध करता है।

कार्यक्रम की नियमित गतिविधिया इस प्रकार हैं : तथ्य आधारित शोध तथा उसका पक्ष समर्थन, नीतिगत वकालत एवं न्याय प्रणाली से जुड़े कार्यकर्ता, जैसे की जेल अधिकारी, कल्याण और परिवीक्षा अधिकारी, फौजदारी वकील, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता अधिकारी और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता, का कौशल विकास।

इन अपडेट को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमें अपना ईमेल एड्रेस भेजें।
आप अपने सुझाव और विचार हमें chriprisonsprog@gmail.com पर भेजें।

संपर्क करें
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव
जेल सुधार कार्यक्रम
55 ए, तीसरी मंज़िल सिदधार्थ चैम्बर्स- 1
कालू सराय, नई दिल्ली 110016
भारत
दूरभाष : +91 11 43180200
फैक्स : +91 11 43180217
chriprisonsprog@gmail.com
www.humanrightsinitiative.org